संख्या–4319 /1–10–2011–33(395)/11

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊः दिनांकः 29 नवम्बर, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–464/आपदा–2011/, दिनांक 09.09.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 में लिये गये निर्णयानुसार, बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय की जाने वाली अति आवश्यक व्यवस्थाओं, जल निकासी हेतु रूपये 1,00,00,000/–(रूपये एक करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03– आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय की जाने वाली अति आवश्यक व्यवस्थाओं, जल निकासी हेतु नियमानुसार उपयोग की जायेगी। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या–जी0आई0–134/1–11–2007–46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा तथा शासनादेश संख्या–2785/1–10–2011–12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011 में विहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

5. वर्ष 2011–12 में दैवी आपदा मद में वितरण 31 मार्च, 2012 तक कर किया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण–पत्र शासन को उलपब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि में अन्दर किया जायेगा।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर www.rahat.up.nic.in/rahat.2.html पर भी फीड करवाना

सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या–4319 (1)/1–10–2011–33(395)/11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/(आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/बजट सहायक राजस्व अनुभाग–10/
7. राजस्व अनुभाग–6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।